बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सेवानिवृत्त वनों के क्षेत्र पदाधिकारियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना।

बिहार राज्य के अन्तर्गत वनों के क्षेत्र पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप वन क्षेत्रों के प्रबंधन में हो रही कठिनाईयों को तत्काल दूर करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.07.2015 के प्रावधानों के तहत् कार्यहित में अल्पकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत वनों के क्षेत्र पदाधिकारियों के रिक्त पद पर बिहार सरकार के सेवानिवृत्त इच्छुक वनों के क्षेत्र पदाधिकारियों से संविदा के आधार पर नियोजन हेतु निम्न शर्त्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

कोटिवार रिक्तियों की संख्याः-

कोटि	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग		अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला	कुल रिक्ति
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला		
रिक्ति	09	05	03	03	0	03	01	02	01	01	28

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र सं0-2342, दिनांक-15.02.16 के आलोक में योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्त्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षति/गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

1. यह नियोजन संविदा के आधार पर दो वर्षो के लिए किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा निर्धारित शर्त्तो के अधीन संविदा की अवधि को उभय पक्षों की सहमति से एवं उनके कार्यो की समीक्षा के उपरांत एक-एक साल के लिए 65 वर्षो तक आगे बढ़ाया जा सकेगा।
2. संविदा की अवधि की समाप्ति पर यह नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा। इस हेतु अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
3. नियोजित वनों के क्षेत्र पदाधिकारियों को मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त महँगाई भत्ता में से पेंशन की राशि + सेवा निवृत्ति के समय पेंशन राशि पर प्राप्त मँहगाई राहत की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वहीं देय होगी इसके अतिरिक्त कोई अन्य वेतन / भत्ता या सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
4. संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में पुनः विनियमितीकरण का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। यह नियोजन सरकारी सेवा की किसी अवधि विस्तार के रूप में नहीं है।
5. नियोजन के पूर्व आवेदक को नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदक को अपने आवेदन के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लंबित नहीं है, न ही उन्हें किसी वाद में सजा हुई और न ही उनके विरूद्ध निगरानी एवं विभागीय कार्रवाई का कोई मामला लंबित है।

7. आरक्षण कोटि का दावा करने वाले आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र (अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत्) की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

8. संविदा अवधि की समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि का एक मुश्त भुगतान कर इस नियोजन को किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा।

9. दिनांक 01.04.2019 को आवेदक की उम्र सीमा 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।

10. आवेदन पत्र सभी कागजातों के साथ विहित प्रपत्र में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ पथ (राईडिंग रोड), शेखपुरा, पटना–800014 में निबंधित डाक द्वारा दिनांक 31.01.2019 के अपराह्न तक स्वीकार किया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. आवेदन पत्र के लिफाफे के उपर बड़े–बड़े अक्षरों में ''सेवानिवृत्त वनों के क्षेत्र पदाधिकारी की संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र'' लिखा होना चाहिए।

12. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.forest.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है या निर्धारित मानक आवेदन पत्र कम्प्यूटर से टंकित कराकर प्रयोग किया जा सकता है।

1/1/19

अपर मुख्य सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

...र्नों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन।

पासपोर्ट साईज
रंगीन फोटो

1. आवेदन का नाम / पदनाम (जिस पद से सेवा निवृत्त हुए):-
2. कार्यालय का नाम (जहाँ से सेवा निवृत्त हुए) :-
3. जन्म तिथि :-
4. आरक्षण श्रेणी :-
5. सेवा निवृत्ति की तिथि :-
6. सेवा निवृत्ति की तिथि को दिया गया अंतिम वेतनः-
7. पेंशन की स्थिति (PPO द्वारा निर्गत हो):-
8. सेवा अवधि का कोई आरोप / विभागीय कार्यवाही / निगरानी का मामला विचाराधीन हो तो उसका उल्लेख :-
9. सेवा निवृत्ति के बाद कोई आपराधिक मामला विचाराधीन हो उसका उल्लेख करें:-
10. गृह जिला एवं स्थायी पता :-
11. पत्राचार का पता :-
12. मोबाईल नं0:-
13. कृपया गृह जिला को छोड़कर इच्छानुसार अन्य किसी तीन जिलों का विकल्प दे जहाँ पर आप कार्य करने के इच्छुक हैं :-
    1.
    2.
    3.

(नोट-जहाँ तक संभव हो आवेदक के उपर्युक्त विकल्पों के अन्तर्गत पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी परन्तु उक्त विकल्प सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।

उद्घोषणाः-

(क) एतद् द्वारा मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उक्त विवरणी सही है। यह सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है।

(ख) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या-10000 दिनांक 10.07.2015 की सभी शर्त मुझे मान्य है

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सेवानिवृत्त वनों के क्षेत्र पदाधिकारियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना

बिहार राज्य के अन्तर्गत वनों के क्षेत्र पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप वन क्षेत्रों के प्रबंधन में हो रही कठिनाईयों को तत्काल दूर करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.07.2015 के प्रावधानों के तहत् कार्यहित में अल्पकालीन् व्यवस्था के अन्तर्गत वनों के क्षेत्र पदाधिकारियों के रिक्त पद पर बिहार सरकार के सेवानिवृत्त इच्छुक वनों के क्षेत्र पदाधिकारियों से संविदा के आधार पर नियोजन हेतु निम्न शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:–

कोटिवार रिक्तियों की संख्याः–

कोटि	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग		अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला	कुल रिक्ति
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला		
रिक्ति	09	05	03	03	0	03	01	02	01	01	28

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र सं0–2342, दिनांक–15.02.16 के आलोक में योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्त्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

1. यह नियोजन संविदा के आधार पर दो वर्षों के लिए किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन संविदा की अवधि को उभय पक्षों की सहमति से एवं उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत एक–एक साल के लिए 65 वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकेगा।
2. संविदा की अवधि की समाप्ति पर यह नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा। इस हेतु अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
3. नियोजित वनों के क्षेत्र पदाधिकारियों को मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त महँगाई भत्ता में से पेंशन की राशि, सेवा निवृत्ति के समय पेंशन राशि पर प्राप्त मँहगाई राहत की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वहीं देय होगी इसके अतिरिक्त कोई अन्य वेतन / भत्ता या सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
4. संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में पुनः विनियमितीकरण का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। यह नियोजन सरकारी सेवा की किसी अवधि विस्तार के रूप में नहीं है।
5. नियोजन के पूर्व आवेदक को नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदक को अपने आवेदन के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लंबित नहीं है, न ही उन्हें किसी वाद में सजा हुई और न ही उनके विरूद्ध निगरानी एवं विभागीय कार्रवाई का कोई मामला लंबित है।
7. आरक्षण कोटि का दावा करने वाले आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र (अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत) की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
8. संविदा अवधि की समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि का एक मुश्त भुगतान कर इस नियोजन को किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा।
9. दिनांक 01.04.2019 को आवेदक की उम्र सीमा 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।
10. आवेदन पत्र सभी कागजातों के साथ विहित प्रपत्र में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ पथ (राईडिंग रोड), शेखपुरा, पटना–800014 में निबंधित डाक द्वारा, दिनांक 31.01.2019 के अपराह्न तक स्वीकार किया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. आवेदन पत्र के लिफाफे के उपर बड़े–बड़े अक्षरों में "सेवानिवृत्त वनों के क्षेत्र पदाधिकारी की संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र" लिखा होना चाहिए।
12. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट **www.forest.bih.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है या निर्धारित मानक आवेदन पत्र कम्प्यूटर से टंकित कराकर प्रयोग किया जा सकता है।

अपर मुख्य सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार सरकार, पटना

PR No. 15477(Forest) 2018-19

अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के संबंध में शिकायत टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें